संख्या - यू0ओ0 - 12/चौवालिस - 2 - 92

प्रेषक,

श्री चन्द्र भूषण पालीवाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों
के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।

लखनऊ : दिनांक 16 फरवरी, 1992

विषय :- प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/उपक्रमों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित आरक्षण कोटा की पूर्ति।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम
अनुभाग-2

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 918/44-2-47/89, दिनांक 19 अगस्त, 1989 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये थे कि शासन के कार्मिक विभाग तथा राष्ट्रीय एकीकरण विभाग द्वारा आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में जो आदेश समय-समय पर जारी किये गये हैं और जो भविष्य में उक्त विभागों द्वारा जारी किये जायेंगे वे प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों पर स्वतः लागू माने जायेंगे।

3- शासन की संज्ञान में यह बात आई है कि समय-समय पर आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में उक्त विभागों द्वारा जारी शासनादेशों के बावजूद भी राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में आरक्षण कोटा अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है। अतः मुझे कहने का निदेश हुआ है कि यदि आपके निगम में आरक्षित कोटा पूर्ण नहीं है तो कोटा पूर्ण किये जाने से सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
चन्द्र भूषण पालीवाल,
विशेष सचिव।